न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/83/2004/बून्दी

1. भवानीशंकर
2. बृजमोहन
3. कालूलाल

–पुत्रगण मथुरालाल गुसाई निवासीगण लैसरदा तहसील के.पाटन जिला बून्दी

4. नन्दूबाई बेवा मथुरालाल
5. गोपाल पुत्र गेन्दीपुरी गोस्वामी निवासी लैसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी
6. हेमराज पुत्र गोपाल जाति गुसाई निवासी लैसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी

....**अपीलांट्स/प्रतिवादीगण**

बनाम

1. लटूर पुत्र रतना गोस्वामी निवासी लैसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी।

....**रेस्पोन्डेन्ट्स**

3. सत्यनारायण पुत्र केसरीपुरी जाति गोस्वामी निवासी ग्राम लैसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी
4. बाबू पुत्र रतना जाति गोस्वामी निवासी ग्राम लैसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी

जाति गोस्वामी निवासी ग्राम लैसरदा तहसील के0पाटन जिला बून्दी

....**तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री राम निवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्तागा, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः– 28–01–2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील

प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील सं. 47/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–12–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन के समक्ष रेस्पोडेन्ट सत्यनारायण/वादी ने एक वाद बाबत अधिकार, घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ग्राम लैसरदा स्थित वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित विवादित आराजियात के संबंध में अपीलार्थी एवं अन्य रेस्पोडेन्ट्स व राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र में विचारण करते हुए उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आदेशिका दिनांक 03–02–2003 पारित करते हुए अन्तिम डिक्री जारी कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर भवानीशंकर वगैरहा ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–12–2003 से निरस्त करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रश्नगत रकबे का अपीलार्थी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जो जमाबंदी सम्वत 2021–2024 से स्पष्ट है, किन्तु माननीय न्यायालयों ने अपीलान्ट के 1/3 हिस्से का काश्तकार मानकर भूल की है। यहीं नहीं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही में अपीलार्थीगण का पक्ष सुने बिना ही निर्णय पारित किए गए है। उनका आगे कहना है कि हेमराज गोद पुत्र भैंरूलाल आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उसे पक्षकार प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। इसके साथ ही वादी के विक्रय को आधार मानकर बिना साक्ष्य व सबूतों का विवेचन कर निर्णय पारित

किए है। आगे बताया कि मामले में भंवरलाल अनजान व्यक्ति है जिस पर नोटिस की तामील करवाई गई है जो कि विधि के प्रावधानान्तर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत रकबे के समस्त सहखातेदार को पक्षकार प्रतिस्थापित किए बिना ही वाद को डिक्री किया गया है। जबकि वादी का वाद संधारण योग्य ही नहीं था। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विपरीत निर्णय पारित करने के कारण त्रुटिपूर्ण है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों न्यायालय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 23–12–2003 व उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–02–2003 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने अपीलार्थीगण की अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा पारित निर्णयों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा आराजी को वादीगण को विक्रय की गई है तथा बेचान की गई भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी व कब्जेकाश्त में पृथक खसरा नम्बर अंकित थे। उनका बेचान अपीलार्थीगण द्वारा वादीगण को किया गया है। इसके अतिरिक्त मूल दावे की कार्यवाही में पंजीकृत विक्रय विलेख को साक्ष्य से प्रमाणित करवाया गया है। उनका तर्क है कि संयुक्त खाते की भूमि होने से भूमि नामान्तरकरण के जरिये क्रेता वादीगण के खाते में नहीं आयी तो उनके द्वारा वाद दायर किया गया तथा दावे में विचारण न्यायलय ने नियमानुसार खाते दर्ज किए व बंटवारे की विधिवत डिक्री जारी की है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमिता नहीं है। उनका यह भी कहना है कि संयुक्त खाते की भूमि में से धारित भूमि का बेचान किया जा सकता है। उनका तर्क है कि सहखातेदार को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए है तथा बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण विचारण

न्यायालय द्वारा एकतरफा डिक्री पारित की गई है, जो कि विधि सम्मत है। उक्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है तथा जिनमें हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण अपीलार्थीगण ने प्रदर्शित नहीं किए है। अन्त में उन्होंने अपील खारिज दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों एवं पारित किए गए निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण ने सयुंक्त खातेदारी की भूमि में से प्रश्नगत रकबे को वादीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख बेचान किया है तथा आराजी का विक्रय होने के बाद भी वादीगण द्वारा दावा दायरी किया गया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में से विशिष्ठ खसरा नम्बरान का बेचान होने के कारण क्रेता वादीगण के पक्ष में नामान्तरकरण के द्वारा भूमि का इन्द्राजात उनके पक्ष में नहीं हुआ, इसी को उद्धरित करते हुए वादीगण ने अपना मूल वाद पेश किया है। अपीलार्थीगण का आक्षेप है कि प्रश्नगत रकबे का अपीलार्थी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जो जमाबंदी सम्वत 2021–2024 से स्पष्ट है, किन्तु माननीय न्यायालयों ने अपीलान्ट के 1/3 हिस्से का काश्तकार मानकर भूल की है। रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2021–2024 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है, इस कारण इस बाबत लिया गया आक्षेप निराधार है। द्वितीय आक्षेप यह लिया कि मूल दावा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णित किया गया है। तामील भंवरलाल को करायी गई है, भंवरलाल कौन है यह तामील पर नहीं लिखा है सभी की तामीलें भंवरलाल को कराया जाना नियम विरूद्ध है। साथ ही भंवरलाल असबद्ध व्यक्ति होने से ऐसी तामील महत्वहीन है। अतः सम्मन की तामील ही सही नहीं है तो एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है। रेकार्ड से प्रदर्शित होता है कि बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण

न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उल्लेखित है कि भंवरलाल को समुचित सूचना दी गई तथा वह अपीलार्थीगण के परिवार का व्यक्ति अथवा भाई है। अतः समुचित अवसर दिए जाने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

8. उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ने संयुक्त खातेदारी की आराजी में से प्रश्नगत रकबा वादीगण को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान किया है तथा आराजी का बेचान होने के बाद भी बेचानकर्त्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है, अतः अपीलकर्त्ता अपील लाने से एस्टोप्ड है। अपीलार्थीगण का यह भी आक्षेप रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले में 1/3–1/3 हिस्सा मानकर गलती की है जबकि उनका प्रश्नगत रकबे में 1/4–1/4 हिस्सा होना चाहिए था। उपलब्ध रेकार्ड के परीक्षण से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रश्नगत रकबे में अपीलार्थीगण का 1/4–1/4 हिस्सा किस प्रकार तय होगा, इस बाबत उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः प्रश्नगत आराजी में 1/4–1/4 हिस्से बाबत लिया गया आक्षेप निराधार पाया जाता है।

9. रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट बाबत वादीगण को कोई आपत्ति नहीं थी। तदनुसार मामले में विचारण न्यायालय ने आज्ञा दिनांक 03–02–2004 से अन्तिम डिक्री पारित की है। हमारे द्वारा उपलब्ध रेकार्ड का विधि की रोशनी में सम्यक परीक्षण किया गया तथा हम पाते है कि मामले में विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आज्ञा विधि सम्मत है, जिसको अन्यथा सिद्ध करने बाबत अपीलार्थीगण द्वारा कोई नवीन तथ्य हमारे समक्ष प्रकट नहीं किए है।

10. उक्त विधि सम्मत तरीके से पारित किए गए निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते हुए न्यायालय ने अपील को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। हमारे

द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील में दिए गए अभिमत का भी परीक्षण किया गया है। उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आक्षेपित निर्णय विधिनुकूल पाये जाने के कारण ऐसे विधि सम्मत निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा पेश द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

11. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है तथा वर्तमान में उपलब्ध स्थापित सिद्धान्तों के अनुसार समवर्ती निष्कर्षो में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पारित किए निर्णय में विधि की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया गया हो। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पारित आक्षेपित निर्णय विधायिका की भावना के अनुसरण में पारित किए जाने के कारण ऐसे निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध पेश की गयी द्वितीय अपील स्वतः ही सारहीन/बलहीन होना दर्शित होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23-12-2003 तथा उपखण्ड अधिकारी केशारायपाटन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03-02-2003 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य